ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

हाल ही में **NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण के समाधान हेतु मौजूदा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) **में संशोधन की** घोषणा की है।

- संशोधित GRAP में **लक्षित कार्रवाइयाँ शामिल हैं** जिन्हें एक **निश्चित सीमा से अधिक प्रदूषण होने** पर दिल्ली के **AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक)** जैसी ज़िम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा **किये जाने की आवश्यकता है।**
- इससे पहले जर्नल नेचर में प्रकाशित एक रिसर्च में बताया गया है कि **वर्ष 2018-2021 के दौरान** भारतीय **वायु प्रदूषण** में मानव-प्रेरित प्रदूषण का अधिकतम स्तर देखा गया है। इस रिसर्च का शीर्षक था **"सेंटिनेल-5पी और गूगल अर्थ इंजन का उपयोग मशीन लर्निंग-आधारित देश-स्तरीय वार्षिक वायु प्रदूषक अन्वेषण"।**

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP):

- **परिचय:**
  - GRAP **आपातकालीन उपायों का एक समूह** है जो दिल्ली-NCR क्षेत्र में **एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद** वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिये लागू होता है।
  - **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2016)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2016 में इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था।
- **कार्यान्वयन:**
  - वर्ष 2021 से GRAP को **CAQM** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
    - वर्ष 2020 तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त **पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA)** राज्यों को GRAP उपायों को लागू करने का आदेश देता था।
  - EPCA को भंग कर वर्ष 2020 में **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था।
  - CAQM **भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** द्वारा वायु गुणवत्ता तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर निर्भर करता है।
- **संशोधन:**
  - **चरण I [खराब (Poor)- AQI 201-300]:** अधिक पुराने डीज़ल/पेट्रोल वाहनों पर NGT/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करें।
  - **चरण II [बहुत खराब (Very Poor)- AQI 301-400]:** क्षेत्र में चिह्नित हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिये लक्षित कार्रवाई। NCR के सभी क्षेत्रों में डीज़ल जेनरेटर का विनियमित संचालन निर्धारित किया गया है।
  - **चरण III [गंभीर (Severe)- AQI 401-450]:** कुछ क्षेत्रों में BS III पेट्रोल और BS IV डीज़ल चार पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा तथा कक्षा 5 तक प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिये स्कूलों में शारीरिक रूप से उपस्थिति वाली कक्षाएँ निलंबित हो सकती हैं।
  - **चरण IV [गंभीर प्लस (Severe Plus)- AQI 450 से अधिक]:** जब AQI 450 से अधिक हो जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों तथा BS-VI डीज़ल वाहनों और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत चार पहिया वाहनों को **शहरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

नोट: AQI एक संख्या है जिसका उपयोग **सरकारी एजेंसियाँ वायु प्रदूषण के स्तर को मापने हेतु करती हैं तथा इससे संबंधित सूचना को जन-जन तक संचारित करती हैं।** जैसे-जैसे AQI बढ़ता है, इसका मतलब है कि आबादी का एक **बड़ा प्रतिशत गंभीर प्रतिकूल** स्वास्थ्य प्रभावों **का अनुभव करेगा।**

वायु प्रदूषण से निपटने हेतु सरकार की पहल:

- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (दिल्ली)
- प्रदूषणकर्त्ता द्वारा भुगतान के सिद्धांत (Polluter Pays Principle)

- **समॉग टॉवर**
- **सबसे ऊँचा वायु शोधक**
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम **(National Clean Air Programme- NCAP)**
- **BS-VI वाहन**
- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु नवीन आयोग**
- टर्बो हैप्पी सीडर **(Turbo Happy Seeder-THS)**
- वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान **(SAFAR)**
- **वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिये डैशबोर्ड**
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक **(Air Quality Index- AQI)**
- **वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981**
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना **(PMUY)**

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/graded-response-action-plan-2